107

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्र. II /2011–12 निगरानी R-447-I/2012

पहलवान पुत्र श्री रामचन्द उम्र 49 साल जाति मीणा निवासी ग्राम भिलवाडिया तहसील बडौदा जिला श्योपुर म.प्र.

------ आवेदक

बनाम

1. रामसिया पत्नी पहलवान उम्र 46 साल जाति मीणा निवासी ग्राम हिरनीखेडा तहसील व जिला श्योपुर म.प्र.

2. ममता पुत्री पहलवान उम्र 11 वर्ष ना.बा. सरपरस्त मां रामसिया पत्नी पहलवान जाति मीणा निवासी ग्राम हिरनीखेडा तहसील व जिला श्योपुर म.प्र.

------ अनावेदकगण

3. भरोषीबाई पत्नी पहलवान उम्र 43 साल,

4. रामउच्छव पुत्र पहलवान उम्र 9 साल ना.बा.

5. धीरेन्द्र पुत्र पहलवान उम्र 7 साल ना.बा. दोनों नाबालिक सरपरस्त मां भरोषीबाई पत्नी पहलवान जाति मीणा निवासी ग्राम भिलवाडिया तहसील बडौदा जिला श्योपुर म.प्र.

------ तरतीवी अनावेदकगण

क्लर्क ऑफ कोर्ट 24.2.12
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

24/2/12

न्यायालय श्रीमान कलेक्टर महोदय श्योपुर द्वारा प्रकरण क्र. 47/10–11 निगरानी पहलवान बनाम रामसिया आदि में पारित अंतिम आदेश दिनांक 24–1–2012 के विरूद्ध पुनरीक्षण।

द्वितीय पुनरीक्षण आवेदन पत्र धारा 50 मध्य–प्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 के अन्तर्गत।

क्र.2

पहलवान

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-447-एक/12 **जिला** - श्योपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15/02/2019	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री कृष्ण शर्मा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 23.04.2019 को आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के समक्ष उपस्थित हों। सदस्य **<u>आयुक्त चंबल संभाग मुरैना</u>**	